उत्तर प्रदेश सरकार
संस्कृत अनुभाग
संख्या...2559 / चार–96–1(139) / 77
लखनऊ, दिनांक...27 अगस्त 1996

दिनांक 27 अगस्त, 1996 की प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा नियमावली, 1996" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(2) निदेशक, उ0प्र0 राज्य अभिलेखागार, लखनऊ।
(3) सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
(4) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्कृति अनुभाग
संख्या 2559/चार–96–1(139)/77
लखनऊ, दिनांक...27 अगस्त 1996

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बताते हैं :–

उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा नियमावली, 1996

भाग – एक सामान्य

संक्षिप्त नाम नियमावली, और प्रारम्भ 1: (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा 1996 कही जायेगी।

सेवा की प्रास्थिति 2: (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा में समूह "क " और समूह "ख " के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएँ 3: जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी " का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ख) "भारत का नागरिक " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) "आयोग " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(घ) "संविधान " का तात्पर्य "भारत का

संविधान से है,

(ड़) "सरकार " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(च) "राज्यपाल " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(छ) "सेवा का सदस्य " का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज) "सेवा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा से है,

(झ) "मौलिक नियुक्ति " का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,

(ट) "भर्ती का वर्ष " का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

भाग दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4: (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय

पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है : परन्तु :

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन – भर्ती

भर्ती का स्रोत

5: सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) निदेशक : मौलिक रूप से नियुक्त उपनिदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, गुणागुण के आधार पर पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति की उपलब्धता तक पद के लिये विहित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से संविदा पर पद भरा जा सकता है।

(2) उपनिदेशक: मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारियों, सहायक

		निदेशक एवं प्रशासनिक अधिकारियों, सहायक निदेशक Iसंरक्षणI, और पाण्डुलिपि अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(3) क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी	(एक)	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
	(दो)	मौलिक रूप से नियुक्त तकनीकी सहायक (इतिहास) तकनीकी सहायक (फारसी) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।
(4) पाडुलिपि अधिकारी		मौलिक रूप से नियुक्त तकनीकी सहायक (संस्कृत) तकनीकी सहायक (फारसी) और प्रकाशन सहायक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(5) सहायक निदेशक एवं प्रशासकीय अधिकारी		मौलिक रूप से नियुक्त तकनीकी सहायक (इतिहास), तकनीकी सहायक (फारसी) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(6) सहायक निदेशक (संरक्षण)		मौलिक रूप से नियुक्त तकनीकी सहायक(परिरक्षण) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
आरक्षण	6:	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश अधिनियमितियॉ और सरकार के आदेश के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार – अर्हताएँ

राष्ट्रीयता

7: सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या,

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रबजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी

परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

अधिमानी :

(क) मध्यकालीन या आधुनिक भारतीय इतिहास में डाक्टरेट की उपाधि।

(ख) संस्कृत या फारसी या जर्मन या फ्रेन्च भाषा का अच्छा ज्ञान।

(ग) अभिलेखों के परिरक्षण या प्रकाशन अर्थात दस्तावेजों, पाण्डुलिपियों आदि में डिप्लोमा।

(2) क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मध्य कालीन भारतीय इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार से अभिलेखागार अध्ययन में एक वर्ष का डिप्लोमा।

(ग) किसी राज्य अभिलेखागार से ऐतिहासिक शोध में पाँच वर्ष का अनुभव।

(घ) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के अभिलेखागार से तकनीकी सहायक (तृतीय वर्ग) के रूप में पाँच वर्ष का कार्यकारी अनुभव।

(ड़) हिन्दी का अच्छा ज्ञान अधिमानी अर्हता होगी।

अधिमानी अर्हता 9: सीधी भर्ती हेतु अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जो

(एक) नियम 8 में उल्लिखित किसी पद के सम्बन्ध में अधिमानी अर्हता रखता हो, या

(दो) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा कर चुका हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी " प्रमाण –पत्र प्राप्त कर चुका हो।

आयु 10: सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित या अधिसूचित की जाय पहली जुलाई को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 45 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11: सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी नियम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12: सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13: किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पाँच भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14: नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15: (1) चयन हेतु विचार किये जाने के आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये किये गए विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जो अपेक्षित अर्हताएँ रखते हों साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जैसी वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में

ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची के नामों की संख्या रिक्तियों
की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अधिक) होगी। आयोग, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती

16: (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये की प्रक्रिया मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की यथास्थिति पात्रता सूची या सूचियॉ समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश(लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संशोधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति क समक्ष रखेगा :

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

परन्तु जहां दो या अधिक पोषक संवर्ग हों :

(क) विभिन्न वेतनमान धारण करने वाले संवर्ग में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(ख) समान वेतनमान धारण करने वाले संवर्ग में अभ्यर्थियों के नाम पात्रता सूची में उनके अपने संवर्गों में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखा जायेगा।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग हो, जिससे

उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

17: यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस क्रम में लेकर रखे जायेगें कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18: (1) उपनियम (2) के उपवर्गों के अधीन रखते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम में रखा जाएगा।

19: (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से

नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समूह या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20: (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि ––

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि

वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण का आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 21: किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान 22: (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं।

	पद का नाम	वेतनमान
(1)	निदेशक	3000–100–3500–125–1750 रूपये
(2)	उपनिदेशक	2350–75–2000–द.रो.–100–4300 रूपये
(3)	सहायक निदेशक एवं प्रशासनिक अधिकारी	2000–60–2300–द.रो.–75–3200–100–3500रूपये
(4)	सहायक निदेशक (संरक्षण)	2000–60–2300–द.रो.–75–3200–100–3500 रूपये
(5)	क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी	2000–60–2300–द.रो.–75–3200–100–3500रूपये
(6)	पाण्डुलिपि अधिकारी	2000–60–2300–द.रो.–75–3200–100–3500रूपये

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23: (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यालय के संबध सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

24: किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 25: किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर वादे लिखित हो या मौलिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 26: ऐसे नियमों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 27: जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहॉ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस नियम से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति 28: इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

सचिव

परिशिष्ट
(नियम 4 (2) देखिये)

क्रम सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	निदेशक	1	—	1
2	उपनिदेशक	—	1	1
3	सहायक निदेशक एवं प्रशासकीय अधिकारी	1	—	1
4	सहायक निदेशक (संरक्षण)	—	1	1
5	क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी	4	1	5
6	पाण्डुलिपि अधिकारी	1	—	1

आज्ञा से

सचिव